संख्या:614/2021/2628/35-4-2021

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कानपुर नगर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 29 दिसम्बर, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत जनपद-कानपुर नगर की वि0स0 क्षेत्र-कल्याणपुर में शासनादेश सं0-343/2021/2192/35-4-2021 दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 द्वारा स्वीकृत 11 कार्यों में से निम्नलिखित 05 कार्यों की स्वीकृति निरस्त किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। विवरण निम्नवत है:-

(लाख रू. में)

	कार्य	लम्बाई (किमी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
1	कल्यानपुर विधानसभा के नानकारी में नव सृजन स्कूल के सामने श्री वीरेंद्र गुप्ता जी के मकान से पद्मश्री प्रोफेसर हरिश्चन्द्र वर्मा जी के मकान से आश्रम तक रोड एवं नाली का निर्माण कार्य। (इंटरलाकिंग)	0.245	28.25	15.00
2	कल्यानपुर के विकास नगर में श्री बउन त्रिवेदी जी के म0सं0 244 से म0 सं0 185 ए तिवारी एंड संस चिड़ियाघर विकास नगर रोड तक दोनों तरफ नाली एवं फुटपाथ का निर्माण कार्य।	0.383	43.96	15.00
3	कल्यानपुर विधानसभा के शारदा नगर में म0सं0 117 क्यू 397 से म0सं0 117/क्यू440 तक रोड का निर्माण कार्य	0.199	19.56	15.00
4	कल्याणपुर विधानसभा के शारदा नगर मे म0सं0 117 क्यू 137 से श्री बी पी राजपूत के मकान होते हुए 117 क्यू 226ए तक रोड का निर्माण कार्य (इंटरलाकिंग)	0.140	13.57	13.57
5	कल्यानपुर विधानसभा के शारदा नगर में 117 क्यू 162 ए, श्री एच0एस0 शुक्ला के मकान से सरदार पटेल पब्लिक स्कूल तक सड़क, नाली एवं फुटपाथ का निर्माण कार्य। (इंटरलाकिंग)	0.155	26.05	15.00
	योग:	**1.122**	**131.39**	**73.57**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 द्वारा निरस्त उपर्युक्त 05 कार्यों हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि रूपए 73.57 लाख को नियमानुसार राजकोष के सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा कर ट्रेजरी बाउचर सहित सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

3- शासनादेश सं0 343/2021/2192/35-4-2021 दिनांक 04.12.2021 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0पत्र सं0-ई-5-319/दस-2021 दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

संख्या:614/2021/2628(1)/35-4-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, कानपुर।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कानपुर नगर।
13- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, कानपुर नगर।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in